273

381

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म. प्र.) लिंक कोर्ट रीवा

जिला रीवा (म,प्र.)

R. 5154-तीन/15

श्री आदित्य प्रसाद शुक्ला एड.
द्वारा पेश। 9-11-15

9/11/15

राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी प्रकरण क्रमांक ------ /2015

1. मुण्डा तनय स्व. रामशरण साकेत
2. ललुआ पिता स्व . सुखई साकेत
3. रामलाल पिता स्व. सुखई साकेत
4. जयलाल तनय स्व. सुखई साकेत
5. शिवराज साकेत तनय स्व. सुखई साकेत
6. कैलाश साकेत तनय स्व. सुखई साकेत
7. महेश साकेत तनय स्व. सुखई साकेत
8. रामबती साकेत पुत्री स्व. सुखई साकेत
9. मुन्नी पुत्री स्व. सुखई साकेत
10. मुस. इदवा बेवा स्व. सुखई साकेत

सभी निवासी ग्राम पड़रा, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.) ------------ निगरानी कर्ता गण

बनाम

1. अंजनी प्रसाद पिता नागेश्वर प्रसादमिश्रा
2. भगवन्तराम तनय बैजनाथ राम मिश्रा

दोनो निवासीग्राम पड़रा, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी (म.प्र.)

-------- गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील गोपदबनास गिर्द 2 के रा.प्र.क्र. 9अ/74/ 2013x14 में पारित

(273)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 / 5154–दो / 2015 जिला–सीधी

मुण्डा साकेत वगैरः / अंजनी प्रसाद मिश्रा

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आदित्य प्रसाद शुक्ला उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील गोपदबनास गिर्द 2 के प्रकरण क्रमांक 9 / अ–74 / 2013–14 में पारित आदेश दिनांक 30.09.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 16.07.19 को कलेक्टर, जिला सीधी के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	